प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**........
प्र0इ0रि0 सं. 365/**2022**..............................दिनांक........15/9/2022..............

2. (I) * अधिनियम ...**पी0सी0 एक्ट 1988 (संशोधित 2018)**....... धारायें...........**7, 7ए**.........
(II) * अधिनियम ....**भारतीय दण्ड संहिता**.....धारायें ....**120बी**.......................
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....284..... समय 7:30 P.M.
(ब) * अपराध घटने का वार...**बुधवार**......दिनांक **14.09.2022** समय **04.29 पी.एम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक– **मौखिक / पर्चा बयान**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– पूर्व दिशा में करीब 185 कि.मी.
(ब) *पता **कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), भरतपुर**
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं..............
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री मोतीराम
(ब) पिता / पति का नाम रामजीलाल
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष............**उम्र 45 साल**..
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....**मिड–डे मिल आपूर्तिकर्ता**..
(ल) पता... निवासी गांव नंगला मेहरानिया p.o.व थाना खोह तह. डीग भरतपुर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री गोपाल सिंह कुन्तल पुत्र बदन सिंह, उम्र 54 साल, जाति जाट, निवासी ग्राम अजान, पुलिस थाना उद्योगनगर, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल मकान नं. 66, विमल कुंज, सारस चौराहा भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर

2– श्री भुवनेश चन्सौरिया पुत्र स्व0 तेजकुमार शर्मा,उम्र 32 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नदिया मोहल्ला, पथवारी चौक, गंगामंदिर भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, जिला भरतपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
....————...
....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)................................**रिश्वती राशि 15,000 / – रूपये** ....
....

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 15,000 / –**

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

श्रीमान् जी निवेदन है कि दिनांक 12.09.2022 वक्त 4:15 पी.एम.पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयू श्री बजंरग सिंह ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस कमल नयन को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया व कार्यालय में पहले से उपस्थित दो व्यक्ति श्री मोतीराम पुत्र श्री रामजीलाल व श्री बीरा सिंह पुत्र टीकम सिंह से मेरा परिचय करवाया तथा बताया कि श्री मोतीराम जिला भरतपुर के स्कूलों में मिड–डे मील की सप्लाई का कार्य करता है। जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर मिड–डे मील के बिलो के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगता है तथा श्रीमान द्वारा परिवादी की शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर श्री मोतीराम व बीरासिंह को अपने साथ कार्यालय कक्ष में लेकर आया व उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने उक्त तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वे अनपढ है, मात्र साईन करना ही आता है। ऐसी स्थिति में गोपनीयता बनाये रखने के उद्देश्य से परिवादी श्री मोतीराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति– गुर्जर उम्र 45 साल निवासी गांव नंगला मेहरानिया p.o.व थाना खोह तह. डीग भरतपुर मो.न. 9251352965 के पर्चा बयान दर्ज किये गये जिसमें उसने बताया कि " मैं गाँव नंगला का रहने वाला हूँ व गाँव मे खेती बाड़ी का काम करता हूँ। पिछले चार सालों से मै पंचायत बुहाना व पंचायत खोंह की कुल आठ स्कूलों के लिए मिड–डे मील बनाने का काम करता हूँ। मुझे यह काम जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर ने दिया था। रोज स्कूल के बच्चों की संख्या पूछकर सभी आठों स्कूल मे खाना पहुंचाता हूँ। स्कूलों के अध्यापको ने एक रजिस्टर बना रखा है। उस रजिस्टर के हिसाब से महिने का हाजरी का हिसाब बनाकर बडे स्कूल के प्रिन्सीपल के पास भेज देते है। फिर मैं पंचायत वाईज प्रिन्सीपल से महिने की डाक लेकर भुगतान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) भरतपुर के पास ले जाता हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी श्री गोपाल कुन्तल लगे हुए हैं। मै जब भी बिल लेकर जाता हूँ वो बिल पास करने के लिए रिश्वत माँगते है। पर पंचायत दस हजार रूपयों के हिसाब से बीस हजार रूपये माँगते है। मैं मेरे सही काम के बदले उनको रिश्वत नहीं देना चाहता। उनको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री गोपाल कुन्तल से कोई रंजिश नही है। मै अगस्त महिने का बिल लेकर जाऊंगा तो वह मुझसे रिश्वत की मांग करेगा जो मे देना नहीं चाहता।" परिवादी श्री मोतीराम से उसके द्वारा किये गये पर्चा बयान के समर्थन में दस्तावेजात/कागजात पेश करने के लिए कहा गया तो बताया कि अभी मेरे पास मिड–डे मील से संबंधित आदेश या अन्य कोई कागजात नहीं है, मैं भरतपुर पहुंचने पर सभी कागजात उपलब्ध करवा दूंगा। आरोपी द्वारा की गई शिकायत का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने पर कानि0 देवेन्द्र सिंह न0 334 को तलब किया गया व देवेन्द्र सिंह व परिवादी मोतीराम व बीरासिंह का आपस में परिचय करवाया गया व कार्यालय कक्ष की आलमारी से एक वाईस रिकार्डर निकाला जाकर परिवादी श्री मोतीराम को उक्त वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की प्रकिया समझायी गई व हिदायत की गई कि कानि0 देवेन्द्र सिंह उसके साथ संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान साथ रहेगा तथा नियमित रूप से सम्पर्क में रहेगा। इस पर परिवादी मोतीराम ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी के पास मैं दोपहर बाद ही बिल लेकर जाता हूँ। अतः कल भी दोपहर बाद ही उससे मिलने जाऊँगा, तब वह कल दिनांक 13.09.2022 को जरूर मुझसे रिश्वत की मांग करेगा। इस पर परिवादी पक्ष व कानि देवेन्द्र को आपस में वार्तालाप कर सामंजस्य पूर्वक सत्यापन कार्य करने के निर्देश प्रदान किये व मुनासिब हिदायत कर परिवादी को रवाना किया गया तथा दिनांक 13.09.2022 को श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 334 द्वारा भरतपुर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर उसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से रिश्वती राशि मांग का सत्यापन के लिये भेजा गया। जिससे वार्तालाप के उपरान्त् श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 334 ने मुझे जरिये मोबाईल अवगत कराया कि परिवादी व संदिग्ध आरोपी की वार्ता हो गई है जिसमें आरोपी अधिकारी के रिश्वत मांगने के तथ्ये आये है व रिकॉर्डिंग को सरसरी तौर पर सुनने पर 16,000/– रूपये रिश्वत की मांग किया जाना बताया गया। कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह को भरतपुर में ही

मुकीम रहने की हिदायत दी गई एवं दिनांक 14.09.2022 को ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लेते हुये दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द किये गये। दिनांक 14.09.2022 को तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री मुनीम सिंह गुर्जर सफाई कर्मचारी नगर निगम जयपुर हैरिटेज व श्री विशाल जाजोटर सफाई कर्मचारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज के कार्यालय में उपस्थित हुये। चुंकि परिवादी अभी भरतपुर में उपस्थित है तथा रिश्वती राशि उसके पास ही है। अतः परिवादी द्वारा रिश्वती राशि भरतपुर में ही पेश की जानी है जिस पर रिश्वती राशि पर फिनोल्पथलीन पाउडर भरतपुर में ही लगाया जाना है। अतः स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में कानि0 श्री धर्मसिंह न0 249 से कार्यालय की आलमारी से फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर वाहन सरकारी टवेरा के डेसबोर्ड में रखवाया गया तथा कानि0 धर्म सिंह को हमराह चलने की हिदायत की गई एवं इसके बाद समय 12:00 पी.एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस, श्री रघुवीर शरण पु0नि0, श्री विनोद कुमार कानि. 242, पन्नालाल कानि न0 09, धर्म सिंह कानि0 न0 249 मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन आर.जे. 45 सी.एन. 3935 मय चालक श्री राकेश कुमार कानि. 606 चालक एवं आरजे 14 यूसी 8798 मय सरकारी वाहन चालक श्री अमित कुमार कानि. न. 529 चालक के मय आवश्यक ट्रेप सामग्री लेपटॉप, प्रिन्टर एवं सामान सरकारी के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर परिवादी के दोस्त के सुभाष नगर स्थित मकान पर पहुचां जहां पर परिवादी श्री मोतीराम व कानि0 देवेन्द्र सिंह उपस्थित मिले, जहां पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के पर्चा बयान एवं रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता से अवगत करवाकर उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने बाबत मौखिक स्वीकृति चाही गई तो उक्त दोनों गवाह ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान कर परिवादी द्वारा की गई शिकायत के पर्चा बयान को पढकर उसपर स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात दिनांक 14.09.2022 को परिवादी श्री मोतीराम ने गवाहान के समक्ष अपने पास से आरोपी श्री गोपाल सिंह को दी जाने वाली रिश्वत राशि पांच–पांच सौ रूपये के 32 नोट कुल 16,000/–रूपये निकाल कर पेश किये, उक्त रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले नोटो के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2ES 929790
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9TM 188440
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8HS 837646
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2MC 652232
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2HL 206401
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5GR 271124
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6GH 739835
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7ME 747746
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4NF 041178
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7FS 260301
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1PG 039278
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8NF 794514
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2HF 523441
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5BT 994498
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BK 315213
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9EP 461736
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CW 941656
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7VE 081383
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0LP 411522
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9NE 586520

21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3VA 900032
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2EA 569107
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3AS 394763
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5VF 394824
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1HE 863408
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8DC 805475
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1SL 799526
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6MU 868093
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4MU 774330
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0MK 544682
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6WH 187297
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8DU 146845

उक्त पांच–पांच सौ रूपये के सभी 32 नोटो पर श्री धर्म सिंह कानि. 249 भ्रनिब्यूरो, सीपीएस जयपुर से फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री मुनीम सिंह से परिवादी श्री मोतीराम की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री धर्म सिंह कानि. 249 से उक्त रिश्वती राशि के नोटो को परिवादी के पहने हुये पेन्ट के दांयी साईड की सामने की जेब में रखवाये गये। गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को फिनोफ्थलीन पावडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की उपयोगिता का दृष्टान्त देकर समझाईश की गई। गवाहान परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी को अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने का गोपनीय ईशारा बताया। फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर अलग से मुर्तिब की गई, जिस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाएं गये। ट्रेप के वक्त दी जाने वाली रिश्वती राशि के संबंध में परिवादी व आरोपी की वार्तालाप टेप करने के लिए परिवादी को आई0सी0 डिजीटल टैपरिकार्डर सुपुर्द कर उसके संचालन की प्रकिया पुनः समझाईश की गई। इसके पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री कमल नयन मय श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक श्री विनोद कानि. 242, श्री पन्नालाल कानि. 09 एवं स्वतंत्र गवाहान श्री मुनीम सिंह व श्री विशाल जोजाटर मय ट्रेप बॉक्स, प्रिन्टर व लैपटॉप के जरिये सरकारी वाहनो मय चालको के व परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से परिवादी के घर से रवाना होकर रेलवे स्टेशन भरतपुर के सामने पहुंच वाहनों को साईड में लगवाकर परिवादी को आवश्यक समझाईश कर वाईस रिकार्डर चालू कर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिये रवाना किया गया। पीछे पीछे कानि0 देवेन्द्र सिह को भी रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनो गवाहान एवं हमराह स्टाफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आस–पास निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुये।

समय 4:29 पीएम पर पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि. न. 334 ने अपने मोबाईल नम्बर 9887925353 से व्हाटस्अप कॉल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस कमल नयन को आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने की सूचना देने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराह स्टाफ श्री परमेश्वर लाल, उ0पु0अ0, श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक, श्री विनोद कुमार कानि0 242, श्री पन्नालाल कानि0 09 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर रेलवे स्टेशन, भरतपुर के सामने स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, भरतपुर के मुख्य गेट पर पहुंचा, जहां श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 कार्यालय के बाहर मुख्य गेट पर मिला, जिसने बताया कि परिवादी श्री मोतीराम ने अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत प्राप्ति का इशारा मुझे दिया, जिस पर मैंने आपको कॉल करके सूचित कर दिया। इस पर श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 को साथ लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रवेश कर कार्यालय के अंतिम कमरे के सामने खडे परिवादी श्री मोती राम के पास पहुंचा, जहां परिवादी श्री मोतीराम ने उसे पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे

सुपुर्द किया। मेरे द्वारा उक्त वाईस रिकार्डर को बन्द किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा तत्पश्चात परिवादी मोतीलाल ने बताया कि मैं अभी कुछ देर पहले आकर श्री गोपाल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी जी से मिला तथा मेरे स्कूलों में मिड डे मील के बिलों के भुगतान हेतु पारित करने के एवज में उनके द्वारा 12 प्रतिशत बतौर कमीशन रिश्वत की मांग करने पर बातचीत के अनुशरण में कुल 16,000/–रूपये की राशि बतौर रिश्वत उन्हें देने के लिए कहा तो श्री गोपाल सिंह जी ने अपने मोबाइल से फोन करके श्री भुवनेश बाबूजी को अपने कक्ष में बुला लिया तथा कहा कि भुवनेश को दे दो, इस पर मैंने 16,000/–रूपये देने से पूर्व श्री गोपाल सिंह जी को निवेदन किया कि साहब कुछ पैसे कम कर दो, 15,000/–रूपये ले लो तो उन्होंने कहा कि एक हजार रूपये निकाल लो इस पर मैंने 500–500 रूपये के दो नोट निकाल कर शेष 15,000/–रूपये की रिश्वत राशि श्री गोपाल सिंह जी जिला शिक्षा अधिकारी के कहने पर उनके सामने बैठे श्री भुवनेश बाबूजी को दे दी जो उन्होंने अपने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की बांयी साईड की सामने की जेब में रख लिये, इसके बाद मैंने बाहर आकर देवेन्द्र सिंह जी को इशारा कर दिया। श्री गोपाल सिंह जी व श्री भुवनेश बाबूजी कमरे के अंदर ही बैठे है। इस पर परिवादी के उक्त कथन पर उसे साथ लेकर कार्यालय में बने अंतिम कमरे में प्रवेश किया, जहां लगी टेबल कुसी पर सामने की कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था तथा उसके सामने एक युवक बैठा हुआ है, की ओर इशारा कर परिवादी ने कहा कि यही गोपाल सिंह जी जिला शिक्षा अधिकारी है, जिसने अभी अभी मेरे मिड डे मील के बिलों का भुगतान करने के लिए उन्हें पारित करने के एवज में 16,000/–रूपये मांग कर 15,000/–रूपये अपने सामने बैठे भुवनेश बाबूजी को दिलवाये है। इस पर सामने की कुर्सी पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं व हमराहीयान का परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम गोपाल सिंह कुन्तल पुत्र बदन सिंह, उम्र 54 साल, जाति जाट, निवासी ग्राम अजान, पुलिस थाना उद्योगनगर, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल मकान नं. 66, विमल कुंज, सारस चौराहा भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रभारी अधिकारी मिड–डे मील, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर होना बताया इसी प्रकार उनकी कुर्सी के सामने बैठे युवक को उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम भुवनेश चन्सौरिया पुत्र स्व0 तेजकुमार शर्मा,उम्र 32 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नदिया मोहल्ला, पथवारी चौक, गंगामंदिर भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक, प्रभारी मिड–डे मील, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, जिला भरतपुर होना बताया। इसके बाद श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक को परिवादी श्री मोतीराम की ओर इशारा कर पूछा कि क्या आपने अभी अभी इनसे कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, तो श्री भुवनेश चन्सोरिया, कनिष्ठ सहायक घबरा गया एवं कुछ नहीं बोला। जिस पर पुनः तसल्ली देकर पूछने पर बताया कि हां मैंने अभी अभी श्री मोतीराम जी से 15,000/–रूपये लिए है। इस पर श्री भुवनेश चनसौरिया को पूछा कि किस बात के लिए है तो कहा कि इनका कोई पैमेंट वैमेंट होना है, किसका पैमेंट होना है, पूछने पर बताया कि मैंने ये पैसे श्री गोपाल सिंह, अति. जिला शिक्षा अधिकारी के कहने पर लिये है, जो मेरी पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की सामने की जेब में रखे है। साथ ही बताया कि मैं अपने कमरे में काम कर रहा था तब मुझे श्री गोपाल सिंह, अति. जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने मो0न0 9772290160 से मेरे मो0न0 8058912730 पर कॉल कर कहा कि मेरे कमरे में आओ, जिस पर मैं इनके कमरे में आ गया जहां मौतीराम जी पहले से ही मौजूद थे तथा इनसे बाते कर रहे थे, तब गोपाल सिंह जी ने कहा कि इनसे पैसे ले ले जिस पर मोतीराम जी ने 500–500रूपये के नोट निकाल कर अपने पास से दिए जो मैंने अपने बांये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की जेब में रख लिये जो अभी भी जेब में रखे हुए है। श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक के उक्त कथन पर श्री गोपाल सिंह, अति. जिला शिक्षा अधिकारी को परिवादी की ओर इशारा कर पूछा कि आपने इनसे किस बात के पैसे लिये है, इस पर गोपाल सिंह, अति. जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा

कि मैने कोई पैसे नहीं मांगे, इस पर पूछा कि इनके बिलो के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग कर दिलवाये है, पर कहा कि मैंने नहीं मांगे इन्होंने अपनी मर्जी से ही दिए है, पहले मेरे से पैसे के लिए बोल रहा था तो मैंने नहीं लिये लेकिन भुवनेश काम से मेरे कमरे में आता रहता है इसको पैसे दे दिये। श्री गोपाल सिंह, अति. जिला शिक्षा अधिकारी के उक्त कथन का मोके पर उपस्थित परिवादी श्री मोतीराम ने जोरदार खण्डन करते हुए कहा कि गोपाल सिंह जी साहब झूंठ बोल रहे हैं मेरे द्वारा आठ स्कूलों में मिड डे मील का काम के बिलों का भुगतान करने की एवज में 12प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग कर 16,000/–रूपये तय करने पर इनके मांगे अनुसार मैंने आज अभी इन्हें रूपये देने चाहे तो इन्होंने श्री भुवनेश बाबूजी को बुलाकर कहा कि इनको दे दो, इस पर मैंने कुछ कम करने का निवेदन करते हुए 15,000रूपये के लिए कहा तो कहा कि ठीक है 15 हजार दे दो इस पर मैंने अपने पास से 16,000/–रूपयो में से एक हजार रूपये रखकर 15 हजार रूपये इनके कहेनुसार श्री भुवनेश बाबूजी को दे दिये जो इन्होंने लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रख लिये। परिवादी के उक्त कथन पर श्री गोपाल सिंह, अति. जिला शिक्षा अधिकारी चुप हो गए एवं कुछ नहीं बोले। इसके बाद ट्रैप बॉक्स मंगवाकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से पीने का पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पाउडर डालकर मिश्रण तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने मिश्रण रंगहीन होना बताया। उक्त मिश्रण के गिलासों में श्री भुवनेश चन्सौरिया कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगूठा को डुबोकर बारी–बारी से अलग–अलग गिलास में धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग परिवर्तित होकर गंदमैला सा तथा बांये हाथ के धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी ने गंदमेला व हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त मिश्रण को दो–दो साफ काचं की शीशीयों में आधा आधा भरकर दाहिने हाथ की शिशियों को मार्क आर–1 व आर–2 व बांये हाथ के धोवण की शिशियों मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर चारों शिशियों को चिट चस्पा कर सील्डमोहर किया गया। इसके बाद गवाह श्री मुनीम सिंह गुर्जर से श्री भुवनेश चनसौरिया की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने श्री भुवनेश चनसौरिया की पहनी हुई जींस की ब्लैक कलर की पेंट की सामने की बांयी जेब से 500–500रूपये के नोट निकाल कर पेश किये जिन्हें गिनवाने पर गवाह ने 30 नोट कुल 15,000/–रूपये होना बताया। दोनों गवाहान से उक्त बरामदशुदा रिश्वती राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द सुपुर्दगी से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू होना बताया। उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगाकर सिलकर सील्डमोहर कर चारों शिशियों एवं नोटो की चिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक के पहनने हेतु एक पायजामे की व्यवस्था कर श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक के वक्त वाका पहने हुए जींस के पेंट को उतरवाया गया तथा एक साफ कांच के गिलास में पुनः प्रकियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का रंगहीन मिश्रण तैयार करवाया करवाकर हाजरीन को दिखाया गया तथा श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक के पहने हुए पेंट की बांयी साईड की सामने वाली जेब को उलटवाकर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर सील्डमोहर कर चिट एवं चस्पों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक की उक्त पेंट की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली में सिलकर मार्क–पी, सील्डमोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद परिवादी को 16,000/–रूपये में से शेष एक हजार रूपये के बारे में कहने पर उसने अपने पास से 500–500 रूपये के दो नोट निकाल कर पेश किये। उक्त पांच सौ रूपये के दो नोट कुल 1000/–रूपये को एक कागज की चिट लगाकर सील्डमोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद श्री गोपाल

सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को परिवादी श्री मोतीराम के मिड–डे मील कार्य से सम्बन्धित बिलों के बारें में पूछा तो बताया कि श्री मोतीराम ने अपनी फर्म/संस्था फूलवती स्वयं सहायता समूह नंगला महरानिया, पंचायत समिति डीग जिला भरतपुर के द्वारा विभिन्न सरकारी विद्यालयों में पोषाहार तैयार कर आपूर्ति करने के बाद भुगतान हेतु माह अगस्त–2022 के बिल राशि 1,37,189.07 रूपये का दिनांक 12.09.2022 को कार्यालय में मुझे पेश किये थे, जो यहीं टेबल पर रखे हुये हैं, मेरे द्वारा उक्त बिल को चैक किया जाकर रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है, तत्पश्चात् भुगतान हेतु लेखा शाखा में सहायक लेखाधिकारी को भेज दिया जाता है, जहां वह भुगतान की प्रकिया पूर्ण कर भुगतान सम्बन्धित फर्म को कर दिया जाता है। इस पर श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी की टेबिल पर रखे बिलों के बंच को देखा गया तो उसमें परिवादी श्री मोतीराम की फर्म/संस्था फूलवती स्वयं सहायता समूह नंगला महरानिया, पंचायत समिति डीग जिला भरतपुर द्वारा माह अगस्त, 2022 के मीड–डे मिल की आपूर्ति उपरान्त् भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल का बंच पाया गया, जिस पर परिवादी की फर्म के नाम के अंकन सहित बिल दिनांक 08.09.2022 की तिथि अंकित होकर कुल राशि 1,37,189.07 रूपये का पाया गया। इसी प्रकार एक अन्य बिल फर्म अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति लि0 भगोरी(बयाना) भरतपुर का बिल नम्बर 2 , अगस्त–2022 कुल राशि 1,62,830.5 रूपये का होना पाया गया। श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा को अधिकारी को उक्त बिलो के इन्द्राज से सम्बन्धित रजिस्टर के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने पास से लाईनदार रजिस्टर निकाल कर पेश किया जिसको प्राप्त कर अवलोकन करने पर उक्त रजिस्टर में विभिन्न फर्मो द्वारा विभिन्न माह का मीड–डे मील से सम्बन्धित कार्य के प्रस्तुत किये गये बिलों का इन्द्राज किया हुआ है। इसी रजिस्टर में दिनांक 14.09.2022 का अंकन कर कम संख्या 16 पर परिवादी की फर्म के बिल का इन्द्राज किया हुआ पाया गया। चूँकि परिवादी द्वारा मिड–डे मील आपूर्ति के पश्चात् प्रस्तुत किये गये बिल का अभी भुगतान होना शेष है, इसलिए कार्यालय में उपस्थित श्री रामेश्वर दयाल बंसल, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) भरतपुर को तलब कर उन्हें कार्यवाही से अवगत कराते हुये परिवादी की फर्म के बिलों व रजिस्टर के सम्बन्धित पृष्ठों की फोटोप्रति करवाकर उनसे प्रमाणित करवाकर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा परिवादी व अन्य फर्म के मूल बिलों को अग्रिम कार्यवाही करते हुये भुगतान कार्य करने हेतु बिलों व रजिस्टर को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी की फर्म से सम्बन्धित बिल पेज संख्या 01 से 36 तक, को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक को परिवादी के बिलों के बारें में पूछने पर बताया कि मिड–डे मील आपूर्ति से सम्बन्धित फर्मो द्वारा सर्वप्रथम अपना मासिक बिल तैयार कर भुगतान हेतु श्री गोपाल सिंह जी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनके बिलों को चैक कर रजिस्टर मे इन्द्राज करने के पश्चात् अग्रिम जांच कर भुगतान हेतु लेखाशाखा को भिजवाये जाते हैं, जहां सहायक लेखाधिकारी द्वारा बिल की जांच उपरान्त् शाखा में भेजे जाते हैं, जहां मेरे द्वारा बिल की नोटशीट तैयार कर फाईल पर लेकर प्रकियानुसार भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिये जाते हैं, जो ऑनलाईन प्रकिया से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) भरतपुर के हस्ताक्षर उपरान्त् सम्बन्धित के खातो में भुगतान हो जाता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को रिवाइन्ड कर सुना गया तो उसमें रिश्वत के आदान–प्रदान के समय आरोपी व परिवादी के मध्य वार्तालाप होना पाया गया, जिसकी आईन्दा ट्रान्सकिप्ट तैयार करने हेतु सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके अतिरिक्त परिवादी की फर्म की ओर से मिड–डे मिल से सम्बन्धित और कार्यादेश प्राप्त करने के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित पत्रावलियों के बारें में पूछने पर उक्त फाईलें श्री भुवनेश चन्सौरिया के पास उपलब्ध होना आरोपी श्री गोपाल सिंह ने बताया, जिस पर उक्त दोनो पत्रावलियां श्री भुवनेश, क.स. से प्राप्त कर उनकी फोटोप्रति करवाकर श्री रामेश्वर दयाल, जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर से प्रमाणित करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी

लिया गया तथा मूल पत्रावलियां श्री रामेश्वर दयाल, जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर को वापस लौटायी गई। तत्पश्चात् कार्यालय से श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर का उपस्थिति रजिस्टर मंगवाकर अवलोकन किया गया जिसमें माह सितम्बर–2022 में आज दिनांक 14.09.2022 को श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज के हस्ताक्षर नहीं किया जाना पाया गया। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित श्री रामेश्वर दयाल, जिला शिक्षा अधिकारी से पूछने पर बताया कि श्री गोपाल सिंह जी को आज निरीक्षण हेतु बाहर जाना था, इसलिए हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। हस्ताक्षर नहीं करने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से पूछने पर बताया कि स्कूलों का समय 1:00 बजे तक रहता है, कोई काम होता है तो कार्यालय में आकर काम कर लेते हैं। काम में व्यस्त होने के कारण हस्ताक्षर करना भूल गया। उपस्थित पंजिका के माह सितम्बर–2022 के सम्बन्धित पृष्ठ की फोटोप्रति करवाकर सम्बन्धित से प्रमाणित करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु चौकी भरतपुर को निवेदन किया गया।

इस प्रकार आरोपी श्री गोपाल सिंह पुत्र बदन सिंह, उम्र 54 साल, जाति जाट, निवासी ग्राम अजान, पुलिस थाना उद्योगनगर, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल मकान नं. 66, विमल कुंज, सारस चौराहा भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये परिवादी श्री मोतीराम की फर्म फर्म/संस्था फूलवती स्वयं सहायता समूह नंगला महरानिया, पंचायत समिति डीग जिला भरतपुर द्वारा विभिन्न सरकारी विद्यालयों मे पोषाहार तैयार कर आपूर्ति उपरान्त् माह अगस्त–2022 के बिलों को भुगतान हेतु पारित करने की एवज में बिल की राशि का 12 प्रतिशत राशि 16,000/– रूपये बतौर कमीशन की राशि रिश्वत के रूप में दौराने सत्यापन मांग कर, मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी द्वारा 16,000/– रूपये में से 1000 रूपये कम करने का निवेदन करने पर 15,000/– रूपये बतौर रिश्वत अपने अधीनस्थ श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से दिलवाये गये जो श्री भुवनेश चन्सौरिया पुत्र स्व0 तेजकुमार शर्मा,उम्र 32 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नदिया मोहल्ला, पथवारी चौक, गंगामंदिर भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, जिला भरतपुर ने श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के कहेनुसार प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस की पेन्ट में बांयी साईड की सामने वाली जेब में रख लिये, जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई है। आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.सं. का पाया जाने पर श्री गोपाल सिंह पुत्र बदन सिंह, उम्र 54 साल, जाति जाट, निवासी ग्राम अजान, पुलिस थाना उद्योगनगर, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल मकान नं. 66, विमल कुंज, सारस चौराहा भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर एवं श्री भुवनेश चन्सौरिया पुत्र स्व0 तेजकुमार शर्मा,उम्र 32 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नदिया मोहल्ला, पथवारी चौक, गंगामंदिर भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, जिला भरतपुर को जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी व श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक की जामा तलाशी ली गई। तलाशी में कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पायी गई। ट्रेप कार्यवाही समय 8:00 पी.एम. पर पूर्ण की गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में बरामदशुदा रिश्वत राशि 15,000/– रूपये, परिवादी द्वारा प्रस्तुत राशि 1,000/– रूपये व आरोपी श्री भुवनेश चन्सोरिया के दोनो हाथों एवं पेन्ट की जेब की धोवन की शिशियों तथा पेन्ट पैकिट को वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। आरोपीगणों की गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार दी गई।आरोपी के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गई जिसमें

कोई आपत्ती जनक वस्तु नहीं पायी गई और ना ही उपरोक्त के अलावा कोई दस्तावेज/वस्तु कब्जा एसीबी ली गई। आरोपी के कार्यालय कक्ष की चाबी श्री रामेश्वर दयाल, जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर को सुपुर्द की गई। दिनांक 15.09.2022 को गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वती राशि के गोपनीय सत्यापन के समय दिनांक 13.09.2022 को परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता एवं दिनांक 14.09.2022 को ट्रेप कार्यवाही के वक्त रिश्वत के लेन–देन की फर्द ट्रान्सकिप्ट एवं डाउनलोड सीडी अलग से तैयार की गई। कार्यवाही के दौरान् बरामदशुदा रिश्वती राशि 15000/–रू., व परिवादी द्वारा पेशशुदा राशि 1,000/– रूपये सील्डशुदा धोवन की शीशीयां एवं सीडीयां व मेमोरी कार्ड को मालखाना, प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में सुरक्षित हालत में जमा करवाया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी गण श्री गोपाल सिंह व श्री भुवनेश चन्सौरिया को माननीय न्यायलय में पेश किया, जहां से उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

उपरोक्त कार्यवाही से श्री गोपाल सिंह पुत्र बदन सिंह, उम्र 54 साल, जाति जाट, निवासी ग्राम अजान, पुलिस थाना उद्योगनगर, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल मकान नं. 66, विमल कुंज, सारस चौराहा भरतपुर हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये परिवादी श्री मोतीराम की फर्म फर्म/संस्था फूलवती स्वयं सहायता समूह नंगला महरानिया, पंचायत समिति डीग जिला भरतपुर द्वारा विभिन्न सरकारी विद्यालयों मे पोषाहार तैयार कर आपूर्ति उपरान्त् माह अगस्त–2022 के बिलों को भुगतान हेतु पारित करने की एवज में बिल की राशि का 12 प्रतिशत राशि 16,000/– रूपये बतौर कमीशन की राशि रिश्वत के रूप में दौराने सत्यापन मांग कर, मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी द्वारा 16,000/– रूपये में से 1000 रूपये कम करने का निवेदन करने पर 15,000/– रूपये बतौर रिश्वत अपने अधीनस्थ श्री भुवनेश चन्सौरिया, कनिष्ठ सहायक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से दिलवाये गये जो श्री भुवनेश चन्सौरिया पुत्र स्व0 तेजकुमार शर्मा,उम्र 32 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी नदिया मोहल्ला, पथवारी चौक, गंगामंदिर भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, जिला भरतपुर ने श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के कहेनुसार प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस की पेन्ट में बांयी साईड की सामने वाली जेब में रख लिये, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.सं. बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(कमल नयन)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री गोपाल सिंह कुन्तल पुत्र श्री बदन सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर एवं 2. श्री भुवनेश चन्सौरिया पुत्र स्व. तेजकुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 365/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3169-74 दिनांक 15.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

15.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।